प्रेषक,

बी. चन्द्रकला,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग –3 **लखनऊ दिनांकः अक्टूबर, 2024**

विषयः– प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु "मिशन शक्ति" अन्तर्गत विशेष अभियान के पॉचवें चरण (फेज–05) के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1901/33–3 2024, दिनांक 01 अक्तूबर, 2024 एवं गृह(पुलिस) अनुभाग–15 के शासनादेश सं0: 975(4)/छ:–पु0–15/2024, दिनांक 03 अक्तूबर, 2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 'मिशन शक्ति'' विशेष अभियान के पॉचवें चरण (फेज–05) की कार्ययोजना को बेसलाइन सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन की दृष्टि से 90 दिवस की अवधि के अन्दर सम्पादित करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त के क्रम में पंचायतों द्वारा वर्ष 2024–25 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित गतिविधियों के साथ महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु 'मिशन शक्ति'' के अन्तर्गत विशेष अभियान के पॉचवें चरण (फेज–05) की निम्नांकित विभागीय गतिविधियों सर्वेक्षण कराते हुए कियान्वित किया जाना है, जिससे कि उक्त गतिविधियों का गुणात्मक अनुश्रवण कराया जा सके:–

क्र0	गतिविधियॉ	गतिविधियों का विवरण	कार्यकारी इकाई	समयावधि
1	राज्य स्तर पर चिन्हित महिला प्रधानों की कार्यशाला	त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन	पंचायती राज निदेशालय	नवम्बर–दिसम्बर, 2024
2	उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं/बालिकाओं का चिन्हांकन कर सम्मानित किया जाना।	विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् आजीविका, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन अथवा अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं/बालिकाओं का चिन्हांकन कर सम्मानित किया जाना।	विभागीय जनपद स्तरीय कार्यालयों के स्तर से	26 जनवरी 2025 के राष्ट्रीय पर्व पर

Amit Srivastava

क्र0	गतिविधियाँ	गतिविधियों का विवरण	कार्यकारी इकाई	समयावधि
3	महिला एवं बाल सभा का आयोजन	• जन योजना अभियान 2024 की अवधि में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–4121/33–3/2022 दिनॉक 06.11.2022 में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुरूप कम से कम 01 महिला सभा एवं बाल सभा का आयोजन कर महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकताओं को जी.पी.डी.पी. का भाग बनाया जाये। • क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा भी महिला सदस्यों के साथ बैठक करके उनके क्षेत्र की आवश्यकताओं को वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाया जाये।	त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थायें	माह अक्तूबर से 15 दिसम्बर, 2024 के मध्य
4	महिला हितैषी पंचायतों के विकास हेतु प्रशिक्षण।	1250 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों/कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित करते हुए उनको सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की थीम संख्या–09 पर प्रशिक्षित करते हुए महिला हितैषी पंचायतों के रूप में विकसित करने का प्रयास करना।	जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के माध्यम से विभागीय मंडलीय कार्यालयों द्वारा	दिसम्बर, 2024
5	बालिकाओं एवं महिलाओं के शौचालय की मरम्मत/जीर्णोद्धार एवं निर्माण अभियान	• पंचायतों में स्थापित शासकीय प्राथमिक, अपर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के बालिका शौचालय की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य।	त्रि–स्तरीय पंचायत	दिसम्बर, 2024

Amit Srivastava

क्र0	गतिविधियॉ	गतिविधियों का विवरण	कार्यकारी इकाई	समयावधि
		• क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के कार्यालयों में महिलाओं हेतु पृथक से शौचालय का निर्माण।		

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'मिशन शक्ति'' के अन्तर्गत विशेष अभियान के पॉचवें चरण (फेज–05) का क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि के साथ 01 सप्ताह के अन्दर जनपदों द्वारा लक्ष्य निर्धारित करते हुए एवं उसके सापेक्ष पाक्षिक प्रगति आख्या विभागीय एम.पी.आर.पोर्टल पर अपलोड कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Bhukya Chandrakala
Date: 18-10-2024 18:47:24

(बी. चन्द्रकला)
सचिव।

संख्या एवं दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ,
4. विशेष/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अभियोजन/महिला एवं बाल सुरक्षा, संगठन उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. अधिशासी अभियंता, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उत्तर प्रदेश।
14. समस्त प्रधान एवं सचिव, उ0प्र0।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Jai Prakash Pandey
Date: 18-10-2024 19:07:55

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Amit Srivastava